

17/11/22 आप पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित
आये। वास्तव में सभी प्रसिवादी गण वकीलवादी ने
समय वाहा। प्रत्येक पूर्व में भी कई बार अक्सर
न्यायाधीश में अन्तिम अक्सर, प्रकरण को अदालत
अुकथगी अनुपालना में सारित कर दिया
जसे की रिक्वायर दिव्य जाने के उपरान्त वकील
वादी ने दिनांक 21/08/2022 में जारी तलवी
लाहना आदेशों की पालना आदिनांक तक
नहीं की है। आप वादी के वाक को अदालत
अुकथगी अनुपालना तलवी आदेशों 9 नियम
5 के तहत सारित किया जाता है। प्रकरण की
अन्तिम कार्यवाही इसी संसद पर होप की जाती
है। पत्रावली को तल हुआर होकर नंबर सूचना
ले। वाक तलवील जमा किया तलवी आदेश ले
सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
मुम्बई (अ.स.स.) राज०

FORM NO III


फर्द अहकाम

(नियम 26)

राष्ट्रीय कलम 22 (फा 20) मुकाम मुण्डावर

बनाम

दिनांक नं सन्

रीख कम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>17/11/22 आज यह प्रा० फ्त. फतावली मूल दवा फतावली के साथ पेश हुई। चूंकि आज पार्टी की मूल दवा फतावली अहम अदालती अनुपालना जाकेवा 9 नियम 5 में खारिज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में इस प्रा० फ्त. फतावली का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः यह प्रा० फ्त. फतावली भी अहम अदालती अनुपालना जाकेवा 9 नियम 5 के तहत खारिज की जाकर प्रकरण की आगामी कार्यवाही इसी स्तर पर शेष की जाती है। पूर्व में जारी अन्तरिम रथगन जाकेवा निरस्त किये जाते हैं। फतावली फासल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तत्कालीन सल्लम मूल दवा फतावली रहे। सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  मुण्डावर (अलवर) राज० </p>	